रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 1999/फाल्गुन 17, 1920
No. 116] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 1999/PHALGUNA 17, 1920

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1999

का. आ. 144(अ).—केंद्रीय सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के मामले में अर्थात् 26 नवंबर, 1998 को हुई दुर्घटना जिसमें उत्तर रेलवे के अंबाला-लुधियाना खंड पर 2903 अप गोल्डन टैंपल मेल के पटरी से उतरे हुए डिब्बों से साथ 3152 डाउन जम्मू तवी-सियालदह एक्सप्रेस की टक्कर हुई थी, की जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग का गठन करना आवश्यक है;

केंद्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए इस निमित्त एक जांच आयोग का गठन करने के लिए एक संकल्प पारित किया है;

अतः, अब केंद्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक जांच आयोग का गठन करती है जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जी. सी. गर्ग होंगे।

2. यह आयोग निम्नलिखित मामलों की जांच करेगा :—

(क) उक्त दुर्घटना के कारण;

(ख) उपर्युक्त दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, यदि कोई हो/हों

3. यह आयोग भविष्य में होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के निवारण के लिए रक्षोपायों के संबंध में सुझाव देगा।

4. आयोग के निष्कर्षों में पैरा 2 के उपपैरा (क) और (ख) तथा पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मामले भी होंगे।

5. यह आयोग यथासंभव शीघ्र, किंतु इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार मास के भीतर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

6. आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ और/अथवा आयोग द्वारा अवधारित किसी अन्य स्थान पर होगा।

7. केंद्रीय सरकार की यह राय है कि की जाने वाली जांच की प्रकृति और मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध उक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए और केंद्रीय सरकार उक्त धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि उक्त धारा की उपधारा (2) से उपधारा (5) तक के सभी उपबंध आयोग को लागू होंगे।

[फाइल सं. 98/ई(ओ)II/1/6]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव, रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 1999

S. O. 144(E).—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the accident on the 26th November, 1998 involving collision of 3152 Dn. Jammu Tawi—Sealdah Express with derailed coaches of 2903 Up Golden Temple Mail on the Ambala—Ludhiana Section of Northen Railway;

And whereas the Central Government has passed a resolution in this behalf to appoint a Commission of Inquiry for the said purpose;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Mr. Justice G. C. Garg, a sitting judge of Punjab and Haryana High Court.

2. The Commission shall make an inquiry with respect to the following matters, namely:—

(a) the causes of the said accident;

(b) the person or persons, if any, responsible for the aforesaid accident.

3. The Commission shall suggest safeguards for the prevention of similar accidents in future.

4. The findings of the Commission shall include the matters specified in sub-paragraph (a) and (b) of paragraph 2 and paragraph 3.

5. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than four months from the date of publication of this notification.

6. The headquarters of the Commission shall be at Chandigarh and/or any other place determined by the Commission.

7. The Central Government is of opinion that, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission and the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, hereby directs that all the provisions of the said sub-sections (2) to (5) of the section shall apply to the Commission.

[File No. 98/E(O)II/1/6]

D. P. TRIPATHI, Secy., Railway Board

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064